राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1205/2011/कोटा.

मैसर्स आर. के. इलेक्ट्रिकल्स, मोखापाड़ा, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (कैम्प–कोटा) (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 1/वेट/2010–11/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24(2) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के तहत रूपये 67,27,722/– का कार्य निष्पादित किया गया। उक्त कार्य के पेटे रूपये 12,51,317/– की पंजीकृत खरीद एवं रूपये 5,628/– की अपंजीकृत खरीद किया जाना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त खरीद में खर्चे व लाभांश जोड़ते हुए बढ़ी हुई राशि पर रूपये 69,855/– का कर आरोपित किया गया। इसी प्रकार व्यवहारी द्वारा वैट चुकाकर क्रय किये गये माल के पेटे रूपये 38,470/– का आई.टी.सी. क्लेम किया गया, जिसे भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन के अभाव में अस्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खर्चे व लाभांश पर आरोपित किये गये कर की पुष्टि की गयी एवं आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण अंकित व्यवहारी की खरीद में खर्चे व लाभांश जोड़ते हुए तद्नुसार करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार वैट चुकाकर की गयी खरीद के पेटे आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन में जो माल अवार्डर को स्थानान्तरित किया गया है उस पर अपीलार्थी का कर दायित्व होना विवादित नहीं किया गया है, बल्कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के स्थानान्तरण में माल की कीमत का आंकलन माल की लागत में आए खर्चे एवं लाभांश को जोड़कर किया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं की गयी है, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में deemed sale of goods transferred in the execution of work contract के turnover पर कर आरोपणीय होता है। स्थानान्तरित माल के आंकलन में केवल श्रम के खर्चे कम किये जाते हैं एवं माल की वास्तविक कीमत स्थानान्तरण के समय वसूल की गई राशि होती है ऐसी स्थिति में माल के खरीद मूल्य में खर्चे एवं लाभांश स्वतः सम्मिलित योग्य है। फलतः कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। जहां तक आई.टी.सी. का लाभ देने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में भी प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर सत्यापन के बाद समायोजन देने का आदेश दिया गया है, जो न्यायसंगत है।

8. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

04/7/2018

(के. एल. जैन)
सदस्य